न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–22/2020
तारीख निर्णय– 20/10/2020

प्रार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र मगनाराम
2. पनाराम पुत्र मगनाराम
3. मेगाराम पुत्र कसनाजी
4. भंवरलाल पुत्र कसनाजी
5. हेमी बाई बेवा कसनाजी
6. जातिगण–जाट, निवासीगण–माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी, पटवार हल्का, माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राज.काश्त.अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील हुकम सिंह सोलकी।
2–अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक:– 20/10/2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 183 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का भाग है, जो मिलान क्षेत्रफल एवं पुराने व नये नक्शा ट्रेस व पुरानी खतौनी की नकलो से स्पष्ट प्रमाणित है। पुराने खसरा नम्बर 213 जिसके नये खसरा नम्बर 701 बने है के उपर पुराने खसरा नम्बर 183 वि[illegible] जिसका भाग नये खसरा नम्बर 693 है यानि नये खसरा नम्बर 693 [illegible] खातेदारी की कब्जा सुदा आराजी पुराने, खसरा नम्बर 183 का ही भाग है। यह नये [illegible] नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर कभी भी शमशान नही रही है न कभी इसका शमशान [illegible] उपयोग ही हुआ हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:42 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(2) राजस्व विविध मु0सं0– 22/2020 प्रार्थीगण– भंवरलाल बनाम अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार व अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

भूमि प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा पुराने खसरा नम्बर 183 का [illegible] है जिस पर कदीम से सेटलमेंन्ट के पूर्व से कब्जा काश्त बतौर खातेदार के प्रार्थीगण [illegible] चला आ रहा है जिसका सेटलमेन्ट की भूल एवं गलती से गलत रूपेण सिवाय चक [illegible]शान दर्ज किया गया है।

सेटलमेन्ट विभाग को यह भूमि नये खसरा नम्बर 693 को प्रार्थीगण की खातेदारी की [illegible] करनी थी। अतः इस भूल को सुधारा जाकर यह भूमि नये खसरा नम्बर 693 रकबा [illegible]1600 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज करना आवश्यक एवं न्याय संगत है एवं [illegible]की किस्म पूर्ववत बारानी दोयम दर्ज करना आवश्यक है। इसी अनुरूप मौजा सरहद [illegible] माण्डीगढ स्थित नये खसरा नम्बर 677 रकबा 0.10 हैक्टर प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी की कब्जा सुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 183 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बा.दो. का ही भाग है जो मिलान क्षेत्रफल व पुरानी एवं नयी खातौनी से स्पष्ट है किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूल एवम् गलती से इसे गलत रूपेण सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जबकि यह भूमि प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा आराजी पुराने खसरा नम्बर 183 का भाग हैं। जिससे सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की इस भूल एवं गलती को सुधारा जाकर यह भूमि नये खसरा नम्बर 677 रकबा 0.10 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज किया जावे तथा इसकी किस्म पूर्ववत बारानी दोयम दर्ज की जाना नितान्त आवश्यक है।

यह है कि सेटलमेन्ट विभाग को पुरानी इन्द्राज के अनुरूप ही नये इन्द्राज करने थे। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग की भूल एवं गलती से पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि को गलत रूपेण सिवाय चक शमशान व गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया एवं किस्म परिवर्तन कर दी, जिसका न तो कोई औचित्य था न ही कोई आधारा था एवं नही सेटलमेन्ट को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार था। जिससे सेटलमेन्ट विभाग राजस्व कर्मचारियो को उक्त भूल एवं गलती को सुधारा जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा। अतः आराजी के नये खसरा नये खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर व नये खसरा नम्बर 677 रकबा 0.1000 हैक्टर की कृषि भूमि खातेदारी की घोषित की जाना नितान्त आवश्यक है।

यह है कि उक्त आराजी पर मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है एवं वर्तमान में ज्वार की फसल बोई हुई है। उक्त जमीन अभी भी रास्ता के उपयोग में नही आई परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का प्रतिनिधी अप्रार्थी संख्या 2 अभी तीन–चार रोज पहले मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने हेतु मौके पर आये। जिस पर प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि उक्त प्रार्थीगण के पु[illegible] विभाग द्वारा गलत रूपेण रास्ता व श्मशान में दर्ज कर दी है। इसलिए [illegible] पुरानी खातेदारी के अनुरूप खातेदारी का इन्द्राज करने बाबत [illegible] सफलता के ठोस व पर्याप्त आधार व आसार हैं व अप्रा[illegible] के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नही [illegible] उसके बावजूद भी

पेज लगातार 03 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(3) राजस्व विविध मु0सं0– 22/2020 प्रार्थीगण– भंवरलाल बनाम अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होती है एवं प्रार्थीगण के हक अधिकारो को कुठाराघात होगा एवम् प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है कि प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा के भाग नये खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 677 रकबा 0.1000 हैक्टर की भूमि पर से बेदखल नही करें एवं जमीन को खुर्द बुर्द, डेमेज करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत होगा अन्यथा प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निर्णय तक आराजी मौजा माण्डीगढ तहसील देसूरी में स्थित खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.1000 हैक्टर की आराजी पर से प्रार्थीगण को जबरदस्ती सपूर्वक बेदखल नही करें एवं प्रार्थीगण की खडी फसल को नुकसान नही पहुंचावे एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, खुर्द बुर्द करने से अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोक जावें एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण न कब्जा सम्बन्धी कोई सबूत पेश नही किया है। ग्राम माण्डीगढ के खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर गै.मु. श्मशान व खसरा नम्बर 677 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता है। इस खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नही है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा देये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में मनन किया कि प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा के भाग नये खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 677 रकबा 0.1000 हैक्टर की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त बाप–दादो के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में मनन किया प्रार्थीगण न कब्जा सम्बन्धी कोई सबूत पेश नही किया है। ग्राम माण्डीगढ के खसरा नम्बर 693 रकबा 1.1600 हैक्टर गै.मु. श्मशान व खसरा नम्बर 677 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 रिकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी का कब्जा कब्जा भी साबित नही होता है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में इस न्यायालय

पेज लगातार 04 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(4) राजस्व विविध मु0सं0– 22/2020 प्रार्थीगण– भंवरलाल बनाम अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

विस्तारित पत्रावली मुकदमा नम्बर 26/2003 अनवान रामा वगैरा बनाम भूमिधारी तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की भू.अ. निरिक्षण कब्जा काश्त साबित करने हेतु पेश की है जिसका पूर्व निस्तारण किया जाकर की जा चुकी है जिससे वर्तमान में कब्जा काश्त होना साबित नही होता है। अतः दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति व सुविधा सन्तुलन :– अपूरणीय क्षति व सुविधा सन्तुलन के बिन्दु न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस में मनन किया कि प्रार्थी का से सेटलमेंन्ट के पूर्व से कब्जा काश्त बतौर खातेदार के प्रार्थीगण का चला आ रहा जिसका सेटलमेन्ट की भूल एवं गलती से गलत रूपेण सिवाय चक श्मशान दर्ज किया है। जिस आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है तो र्थीगण को अकथनीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के हक अधिकार को कुठारघात होगा सकी पूर्ति रूपये पैसे से नही की जा सकती है तथा प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद करने का सद समाप्त हो जावेगा। मौके पर प्रार्थीगण की फसल खडी है धोरे मांड की हुई है। तः दोनो खसरों से बेदखल नही किया जाए।

प्रार्थीगण द्वारा बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार के अस्थाई निषेधाज्ञा री की जाती है तो प्रार्थीगण के तुलना में अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी र्ति नही की जा सकती है। बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एवं बिना धिपत्य कब्जा के कानूनन धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी कार से कोई अस्थायी व्यादेश जारी नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 हसीदार देसूरी द्वारा धारा 91 के तहत सरकारी भूमि व रास्ते पर अतिक्रमण हटाना नूनन अधिकार है। अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–20/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)